

दिनांक

आज्ञा पत्र

7.6.23

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज..... के पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 28.6.23 को पेश हो।

28.6.23

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक मघ ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 27.9.23 को पेश हो

27.9.23

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है इस हेतु अपीलांत शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रालिखित निस्तारण किया जा सकें पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 9.11.23 को पेश हों।

9.11.23

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज..... के पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 25.11.24 को पेश हो।

25.11.24

पत्रावली पेश। वकील अपीलांत को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जायें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 30.11.24 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

30.11.24

पत्रावली पेश। वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलांत ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांत अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर न्याय से कम होकर बाद तस्तीब तकमील दाखिल दफतर हो।

Arum



पू-प्रबन्ध अधिकारी एवं अपील अधिकारी